प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,
कानपुर नगर ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

जय नारायण विद्यामन्दिर जू०हा० स्कूल
विकास नगर, कानपुर नगर।

पत्रांक: जू०हा०मान्यता/ 4241-244 /2000-2001-दिनांक:01 जुलाई 2000

विषय:- विद्यालय को जू0हा0 स्कूल स्तर की अस्थाई मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राजाज्ञा सं0 शिक्षा {6} अनुभाग-646/15-6=97-18 एस0{7} 89 दिनांक-13 अगस्त, 1997 में निहित शर्तों एवं नियमों के अधीन दिनांक 30.06.2000 को अस्थायी मान्यता समिति के अध्यक्ष/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक {बेसिक} कानपुर मण्डल, कानपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय एवं निर्देशों के अनुसार आपकी संस्था को शिक्षा सत्र 1999-2000 से उच्च प्राथमिक विद्यालय {जू0हा0स्कूल} स्तर की अस्थायी मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है ।

संदर्भित शासनादेश में निहित निर्देशों एवं प्राविधानों के तहत आपके विद्यालय में निम्नांकित पद अनुमन्य होंगे :-

{1} प्रधानाध्यापक	एक
{2} सहायक अध्यापक	चार{4} जिसमें एक अध्यापक विज्ञान तथा एक भाषा
{3} लिपिक	एक
{4} चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक
	कुल योग -सात {7} पद

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शासन एवं विभाग के निर्देशानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों का अनुपालन करायेंगे, यदि आपके विद्यालय में शासकीय आदेशों के विपरीत कोई तथ्य प्रमाणित पाया जाता है तो आपके विद्यालय को निर्गत अस्थाई मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है । जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

प्रतिबन्ध {1} विद्यालय के प्रबन्धक का तथा उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों एवं परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन करेंगे ।

{2} विद्यालय के छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा ।

{3} विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देने का जिम्मेदार होगा । जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अनतरण के द्वारा किया जायेगा । विद्यालय के समस्त स्थाई अध्यापकों पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिये ।

{4} विद्यालय में सभी प्रशिक्षित अध्यापक रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापकों से अध्यापन कार्य लिया जाए ।

{5} विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम का पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रमों में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था रखी जायेगी ।